न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 53 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः- 032/2025

1 ओमप्रकाश पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी माणुका तहसील व जिला हनुमानगढ

2 प्रेम कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी माणुका तहसील व जिला हनुमानगढ

3 प्रमोद कुमार पुत्र पोलाराम जाति जाट निवासी माणुका तहसील व जिला हनुमानगढ

4 सुनील पुत्र पोलाराम जाति जाट निवासी माणुका तहसील व जिला हनुमानगढ

-वादीगण

बनाम्

1 कुलदीप पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़

2 मनीराम पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़

3 सुमन पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़

4 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़

-ःप्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री अनिल शर्मा - अधिवक्ता वादीगण
2. श्री नवदीप कड़वासरा - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 3
3. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 4

-ःनिर्णयः-

दिनांक 05.02.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण चक 15 एमएमके के खाता संख्या 104/94 के प.न. 115/200 (12) कि.न. 16/2, 17, 18, 22/1, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 प.न. 115/201 (15) कि.न. 5, 6, 7, 14, 15, प.न. 116/200 (13) कि.न. 11/1, 11/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2 प.न. 116/201 (14) कि.न. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, कुल 6.287 है. भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं। जिसमें वादीगण प्रत्येक के नाम 253/12574 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। संलग्न जमाबंदी वाद पत्र है।

यह कि वादीगण ने वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि दिनांक 21.07.2023 को प्रतिवादी संख्या 3 से खरीद की थी, प्रतिवादीगण ने वादीगण को प.न. 115/201 (15) के कि.न. 14 में .190 है. कि.न. 15 में 0.253 है. प.न. [illegible] (14) के कि.न. 11 मे से पश्चिमी दिशा की तरफ का हिस्सा 0.063 है. कि.न. 15 [illegible] विपता [illegible] का कुल कि यानि 0.506 है. नहरी भूमि का कब्जा सुपुर्द किया था, जिसमें वादीगण संख्या [illegible] का कब्जाकाश्त प.न. 115/201 (15) 14, 15 प.न. 116/201 (14) कि.न. 11 के उत्तरी दिशा पूर्व से पश्चिम [illegible] वादीगण संख्या 3 व 4 का उक्त रकबा में दक्षिण दिशा मु[illegible]क नजरी नक्शा चला आ [illegible] का उपरोक्त खरीद अनुसार ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है किन्तु खाता प्रतिवादीगण के साथ खाता सयुंक्त होने के कारण वादी के साथ सींव बट का झगड़ा बना रहता हैं। इसलिए वादीगण मुताबिक नजरीनक्शा खाता प्रतिवादीगण से अलग करवाने के अधिकारी हैं। नजरी नक्शा सलंग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:13:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

यह कि वादीगण ने कई दफा प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि मुताबिक कब्जाकाश्त वादीगण का खाता अलग कायम करवा दो, पहले तो टाल-मटोल करते रहे, मगर सप्ताह इन्कार हो गया, यही वादी कारण है। अतः अति कष्ट कर अनुतोष चाहा कि वादीगण का प्रतिवादीगण से वादीगण के कब्जाकाश्त प.न. 115/201 (15) के कि.न. 14/0.190 है. कि.न. 15/0.253 है. प.न. 116/201 (14) के कि.न. 11 में से पश्चिम दिशा की तरफ का हिस्सा 0.063 है. कि.न. 15 के चिपते में वादीगण संख्या 1 व 2 को उत्तरी दिशा व वादीगण संख्या 3 व 4 को दक्षिण दिशा हुआ 0.506 हैक्टेयर मुताबिक नजरी नक्शा खाता अलग कायम किया जाए।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता नवदीप कड़वासरा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 जवाब मय इकबाल पेश कर वादीगण वाद डिक्री किए जाने पर सहमति पेश की है। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक वाद पत्र के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादीगण निर्णित किया जाता है कि:- चक 15 एमएमके खाता सं. 104/94 में दर्ज आराजी तादादी 6.287 हैक्टेयर में से प.न. 115/201 (15) के कि.न. 14/0.190 है. कि.न. 15/0.253 है. प.न. 116/201 (14) के कि.न. 11/0.063 (पश्चिमी दिशा की तरफ का हिस्सा कि.न. 15 के चिपता हुआ) कुल रकबा 0.506 है. नहरी भूमि का खाता वादीगण के नाम ब.हि.ब. अलग किया जाता है तथा इसी अनुसार रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। शेष खाता मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर रहे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

NOTE:- डिक्री में वर्णित रकबा 0.506 है में वादी सं. 1, 2 [illegible] उत्तरी [illegible] व वादी सं. [illegible] पढा जावे। शेष आदेश [illegible] रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:13:59 IST
Reason: SelfAttested